

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा  
बिहार (समस्तीपुर) – 848 125


का०आ०सं०— आ०वि० एवं म०सं०/265/2006-07/68...../रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा दिनांक 21/01/2019

कार्यालय आदेश

प्रशासन प्रभाग द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 492 ज्ञापांक 937 दिनांक 25.09.2018 के क्रम में विन्दु 1-5 के बाद अगला विन्दु 6 निम्नवत् समाहित किया जाता है:-


“संतान देख-भाल अवकाश प्रथम 365 दिनों हेतु 100 प्रतिशत तथा अगले 365 दिनों हेतु 80 प्रतिशत वेतन भुगतान का प्रावधान किया जाता है।”

कुलपति के आदेश से

  
उप कुलसचिव (रथा०) (9.1.19)  
पूसा, दिनांक 21/01/2019

ज्ञापांक 115 / डा.रा.प्र.के.कृ.वि.,

प्रतिलिपि सभी अधिष्ठाता एवं निदेशक/ कुलसचिव / नियंत्रक/ अधिष्ठाता, तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली / अधिष्ठाता, मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली / अधिष्ठाता, उद्यान एवं वनिकी महाविद्यालय, ढोली / पिपराकोठी / सभी संस्था के प्रधान/ सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयक/ सम्पदा पदाधिकारी/ गुरुव्य विकित्ता पदाधिकारी/ नियंत्री पदाधिकारी, केन्द्रीय कर्मशाला/ सह निदेशक अनुसंधान/ सभी प्रगारी पदाधिकारी, केन्द्र एवं उपकेन्द्र/ प्रभारी पदाधिकारी, बाह्य परीक्षा एवं मूल्यांकन कोषांग/ प्रगारी पदाधिकारी, एरिस रोल, रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (रथा०) (9.1.19)  
कार्बन प्रति- कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति के सूचनार्थ प्रेषित। (9.1.19)